54

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1673–तीन/2006 – विरूद्ध आदेश दिनांक 08–08–2006 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 10/2004–05 अपील

रामभिलन पुत्र बैजनाथ निवासी ग्राम
मगुआपुरा तहसील सेवढ़ जिला दतिया ---आवेदक

विरूद्ध

1– रामेश्वर पुत्र बैजनाथ ग्राम मगुआपुरा तहसील सेवढ़ा जिला दतिया मध्यप्रदेश
2– श्रीमती मिथला पुत्री रतीराम पत्नि भगवानदास ग्राम रामपुरा जिला दतिया
3– श्रीमती रामादेवी पुत्र बैजनाथ ग्राम सलोन तहसील भाण्डेर जिला दतिया ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री दुष्यंत सिंह)
(अनावेदक–1 के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक–2,3 के विरूद्ध एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 4 – 1 –2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 10/04–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–8–06 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम भगुआपुरा की आराजी क्रमांक 828 रकबा 0.32, सर्वे क्रमांक 834 रकबा 0.47 कुल किता 2 कुल रकबा 0.79 हैक्टर में भाग 1/5 अर्थात रकबा 0.16 हैक्टर तथा सर्वे क्रमांक 827 रकबा 0.91, सर्वे क्रमांक 833 रकबा 1.21, सर्वे क्रमांक 838 रकबा 0.35 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.47 हैक्टर में से भाग 1/3 अर्थात रकबा 0.82 हैक्टर की भूमिस्वामिनी महिला फूला उर्फ ओछी बहू पत्नि स्वर्गीय बैजनाथ थी। भूमिस्वामिनी महिला फूला उर्फ ओछी बहू की मृत्यु उपरांत ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 12 पर आदेश दिनांक 4-10-02 से ग्राम पंचायत ने उभय पक्ष का समान भाग पर नामान्तरण किया । इस आदेश के विरूद्ध राममिलन ने अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के समक्ष अपील क्रमांक 33/2002-03 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा ने आदेश दिनॉक 26-7-2004 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 10/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-8-06 से अपील निरस्त हुई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव अनावेदक क्रमांक-1 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक 2,3 सूचना उपरांत अनुपस्थित हैं, उनके विरूद्ध एकपक्षीय है।

4/ आवेदक एंव अनावेदक क्र-1 के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक वादग्रस्त भूमि पर विक्रय पत्र दिनांक

6-9-02 के आधार पर नामान्तरण चाहता है जबकि मूल भूमिस्वामिनी महिला फूला उर्फ ओछी बहू के 95 वर्ष के होने का प्रमाण प्रकरण में है एंव उसे ऑखो से दिखाई न दिये जाने का तथ्य भी आया है। यह भी निर्विवाद है कि आवेदक एंव अनावेदकगण सगे भाई बहिन होकर बैजनाथ की पत्नि महिला मूलावाई की संतान हैं एंव फूला उर्फ ओछी बहू बैजनाथ की अन्य पत्नि हैं। यदि महिला फूलावाई ने विक्रय पत्र दिनांक 6-9-02 से एक पुत्र के हित में विक्रय पत्र संपादित किया है तत्सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ ने आदेश दिनांक 26-7-04 के पृष्ठ-4 पर सव पैरा में इस प्रकार विवेचना की है :-

'' मृतक बैहजनाथ के दो पत्नियॉ थीं प्रथम मु. मूला, मु. फूला उर्फ ओछी बहू। मु. मूला का स्वर्गवास मुताविक अभिलेख जयारोग्य चिकित्सालय ग्वालियर में दिनांक 22-6-87 को हो गया था चूॅकि विवादित आराजी मु. मूला तथा मु. फूला के नाम राजस्व कागजात में दर्ज थी अस्तु मु. फूला उर्फ मु. मूला उर्फ ओछी बहू का नाम अंकित कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है जो एक कूट रचित एंव फर्जी कार्यवाही है जिसके लिये विक्रय पत्र निष्पादित कर्ता तथा प्रमाणित करता दोनों दोषी हैं द्वित्तीय उक्त विक्रय पत्र भूमिस्वामी को धोखा देकर एंव उसकी वृद्व अवस्था तथा नेत्रहीनता होने का लाभ लिया जाकर निष्पादित कराया है जिस पर कोई विचार किया जाना अथवा कार्यवाही किया जाना मैं न्यायोचित नहीं समझता।''

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से परलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारों के बीच व्यवहार वाद कमांक 72 ए 2002 प्रचलित है एंव व्यवहार न्यायालाय से जो भी आदेश होंगे , राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। संदिग्ध विक्रय पत्र के आधार पर हक अर्जित न होने के सम्बन्ध में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण

कमांक 10/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-8-06 में निकाले गये निष्कर्ष उचित हैं। वैसे भी तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग. ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 10/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-8-06 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर